झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
आपराधिक विविध याचिका संख्या 4201/2022

सोभा कुमारी उर्फ शोभा कुमारी उर्फ टिंकी कुमारी उर्फ रिंकी कुमारी, उम्र लगभग 28 वर्ष, पत्नी श्री दिनेश कुमार यादव, ग्राम-बंधबाद, डाकघर-महेशमुंडा, थाना-गांडेय, जिला-गिरिडीह।

..... याचिकाकर्ता

बनाम

झारखंड राज्य ..... विपक्षी

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री रोहित रंजन सिन्हा, अधिवक्ता
राज्य की ओर से : सुश्री कुमारी रश्मि, अपर पी.पी.

प्रस्तुत

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- दोनो पक्षों को सुना।

2. यह आपराधिक विविध याचिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दिनांक 22.09.2022 के आदेश (जिसकी प्रति अनुलग्नक-6 में रखी गई है) के साथ-साथ दिनांक 10.08.2022 के आदेश (जिसकी प्रति अनुलग्नक-4 में रखी गई है) को रद्द करने और अलग रखने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है, जिसके द्वारा क्रमशः दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उद्घोषणा और गिरफ्तारी का गैर-जमानती वारंट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गिरिडीह द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 406/420 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पंजीकृत बिरनी थाना कांड संख्या 24/2020 के संबंध में जारी किया गया था और उक्त मामला अब विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गिरिडीह के समक्ष लंबित है।

3. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि 10.08.2022 को मामले के जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता, जो कि उक्त बिरनी थाना केस संख्या 10/2022 का आरोपी व्यक्ति है, के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की प्रार्थना के साथ याचिका दायर की। विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने माना कि याचिकाकर्ता भारतीय दंड संहिता की धारा 406/420 के तहत दंडनीय गैर-जमानती अपराधों में शामिल है और वह अपनी गिरफ्तारी से बच रही है, जैसा कि केस डायरी से पता चलता है, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, गिरिडीह को लगा कि हालांकि मामले के जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता के घर का दौरा किया था, लेकिन मामले का आरोपी जो यहां याचिकाकर्ता है, वहां से भागने में सफल रहा और हालांकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के तहत नोटिस याचिकाकर्ता को 08.01.2021, 02.02.2021 और 07.02.2021 को बिरनी पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने के निर्देश के साथ दिया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता-आरोपी पुलिस या अदालत के सामने पेश नहीं हुआ और संतुष्ट होने पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने आरोपी जो यहां याचिकाकर्ता है, के खिलाफ गिरफ्तारी का गैर-जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया। 22.09.2022 को मामले के जांच अधिकारी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गिरिडीह द्वारा न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी के गैर-जमानती वारंट की

निष्पादन रिपोर्ट दायर की और सीआरपीसी की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी करने के लिए प्रार्थना की। विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने केस डायरी के विभिन्न पैराग्राफों की सामग्री सहित रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों पर विचार किया और जैसा कि विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रतीत हुआ कि याचिकाकर्ता 14.08.2022, 18.08.2022 और 19.08.2022 को अपनी गिरफ्तारी से बच निकली; विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, गिरिडीह ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उद्घोषणा जारी की जिसमें याचिकाकर्ता को 03.11.2022 को सुबह 11.30 बजे या उससे पहले अदालत में उपस्थित होने की आवश्यकता थी, लेकिन याचिकाकर्ता 03.11.2022 को या उससे पहले विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, गिरिडीह की अदालत में उपस्थित नहीं हुआ।

4. यह याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता निर्दोष है और उसने कोई अपराध नहीं किया है। याचिकाकर्ता एक विवाहित महिला है और उसकी शादी एफ.आई.आर. की संस्थित के लगभग 10 महीने बाद हुई थी। दिल्ली के एक मंदिर में 2020 के बिरनी थाना केस नंबर 24 में से और अपनी शादी के लिए वह अपने पति के साथ गिरीदी जिले में अपने वैवाहिक घर में रह रही है। यह अगली बार याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता ने 2021 की प्रत्याशित जमानत याचिका नंबर 160 दायर की थी जिसे 31.03.2022 के आदेश के आदेश को अस्वीकार कर दिया गया था। तब यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है जो कानून के लिए सभी सम्मान रखता है। यह अगला प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता 2019 के कोर्रा थाना केस नं। 103 में भी शामिल है, जिसमें याचिकाकर्ता को इस अदालत द्वारा जमानत दी गई थी। समय की काफी अवधि। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि 10.08.2022 और 22.09.2022 दिनांकित आदेश इस आधार पर पारित किए गए हैं कि याचिकाकर्ता बोकारो जिले में ग्राम लेपो का निवासी है। इसलिए, 10.08.2022 और 22.09.2022 दिनांकित आदेश कानून के अनुसार नहीं हैं। याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील इंडेर मोहन गोस्वामी और उत्तरीचाल के एक अन्य बनाम राज्य के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर निर्भर करता है और अन्य (2007) 12 एससीसी 1 पैराग्राफ -54 में रिपोर्ट किया गया है। :-

> "54. जहां तक संभव हो, यदि अदालत की राय है कि एक समन अदालत में अभियुक्त की उपस्थिति को प्राप्त करने में पर्याप्त होगा, तो समन या जमानत योग्य वारंट को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वारंट या तो गैर-जमानत योग्य या गैर-जमानत को कभी भी तथ्यों की उचित जांच और मन के पूर्ण आवेदन के बिना जारी नहीं किया जाना चाहिए, जो कि बेहद गंभीर परिणामों और प्रभावों के कारण होता है जो वारंट जारी करने पर होता है। अदालत को बहुत सावधानी से जांच करनी चाहिए कि क्या आपराधिक शिकायत या एफआईआर को तिरछे मकसद के साथ दायर नहीं किया गया है। "

और जिसमें भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कि गिरफ्तारी के जमानत योग्य या गैर-जमानती वारंट को कभी भी तथ्यों की उचित जांच और मन के पूर्ण आवेदन के बिना जारी नहीं किया जाना चाहिए।

5. यह अगला प्रस्तुत किया गया है कि मामले के जांच अधिकारी का विवाद सभी झूठे हैं। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस आपराधिक विविध याचिका में की गई प्रार्थना को अनुमति दी जाती है।

6. दूसरी ओर राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर पीपी ने याचिकाकर्ता की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया। विद्वान अपर पीपी ने आगे कहा कि निर्विवाद रूप से याचिकाकर्ता 13.02.2020

को बिरनी थाना केस संख्या 24/2020 की स्थापना के समय बोकारो जिले के लेपो गांव की निवासी थी। मामले की स्थापना के बाद भी, याचिकाकर्ता 09.06.2020 तक कोर्रा थाना केस संख्या 103/2019 के संबंध में हिरासत में थी, लेकिन याचिकाकर्ता ने बिरनी थाना केस संख्या 24/2020 के संबंध में रिमांड के लिए संबंधित अदालत के समक्ष कभी कोई आवेदन नहीं किया। याचिकाकर्ता ने मामले के जांच अधिकारी को कभी भी गिरिडीह में रहने के बारे में सूचित नहीं किया। याचिकाकर्ता के माता-पिता, जो अभी भी निर्विवाद रूप से बोकारो जिले के लेपो गांव में रहते हैं, ने मामले के जांच अधिकारी को याचिकाकर्ता के ठिकाने के बारे में कभी सूचित नहीं किया, बल्कि रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री से पता चलता है कि याचिकाकर्ता जो एक हिस्ट्रीशीटर है, अन्य आपराधिक मामलों में भी शामिल है, पुलिस को देखकर भाग गई। ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने संतुष्ट होने पर कि याचिकाकर्ता अपनी गिरफ्तारी से बच रही है, याचिकाकर्ता के खिलाफ गिरफ्तारी का गैर-जमानती वारंट जारी करने के लिए 10.08.2022 का आदेश पारित किया है और 22.09.2022 का आदेश पारित किया है जिसके द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत उद्घोषणा की गई है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि यह आपराधिक विविध याचिका, बिना किसी योग्यता के, खारिज किया जाना चाहिए।

7. बार में की गई प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुनने और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद, जहां तक विवाद का संबंध है भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में याचिकाकर्ता जहां तक इंदर मोहन गोस्वामी एवं अन्य बनाम उत्तरांचल राज्य एवं अन्य (सुप्रा) मामले का संबंध है, इसमें कोई संदेह नहीं कि यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है।

8. अब मामले के तथ्यों पर आते हैं जैसा कि राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर पीपी ने सही ढंग से प्रस्तुत किया है कि निर्विवाद रूप से याचिकाकर्ता शिकायत दर्ज कराने के समय बोकारो जिले के लेपो गांव का निवासी था। एफआईआर रिकॉर्ड में ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो यह सुझाव दे कि याचिकाकर्ता लेपो, बोकारो के अलावा किसी अन्य स्थान पर रह रही है, इस आपराधिक विविध याचिका में किए गए एक स्पष्ट कथन को छोड़कर। केस डायरी में किए गए कथन कि अलग-अलग तारीखों को पुलिस ने बोकारो जिले के लेपो गांव में याचिकाकर्ता के घर पर छापा मारा और याचिकाकर्ता पुलिस को देखकर वहां से भागने में सफल रहा, निर्विवाद रहा है। याचिकाकर्ता निस्संदेह भारतीय दंड संहिता की धाराओं 406/420 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज मामले में शामिल है। इस मामले के अलावा, बेशक याचिकाकर्ता एक अन्य मामले में भी शामिल है और हिरासत में थी, लेकिन इस मामले के पेश होने के बाद भी, उसने कभी भी संबंधित अदालत से बिरनी पीएस केस संख्या 24/2020 के संबंध में उसे रिमांड पर लेने का अनुरोध नहीं किया। मजिस्ट्रेट, गिरिडीह के समक्ष दिनांक 03.11.2022 को पूर्वाह्न 11:30 बजे उपस्थित होना था, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञात कारणों से विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गिरिडीह के समक्ष उपस्थित नहीं होने का निर्णय लिया।

9. ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, गिरिडीह द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करने अथवा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी करने के आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्यायाधीश)

उच्च न्यायालय, झारखंड, रांची
दिनांक 08 अप्रैल, 2024 एएफआर/
अनिमेष-सरोज

यह अनुवाद ज्ञान रंजन, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।